

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
------------------------	---	--

11/9/18

वकील उपपुत्र उपय रैस्पोर अधिवक्ता की  
जापति है कि उनके द्वारा अपील संख्या  
०३ के मौजूद होने की सूचना दि. 13/12/17  
में अपील को उपलब्ध करायी जा चुकी  
है। परन्तु अधिभावक अपीलान ने मा ले  
मायम मुकाम कार्यवाही की है एवं या नि  
अन दिनांक 13/12/17 में रैस्पोर की तानकी  
हेतु कोई स्पष्ट किया है। अपीलान दस्तावेज  
अपील को इरीजा करना चाहते हैं। अतः  
अपील अपीलान अर्बैट हो चुकी है। श्वारिज  
की जावे।

द्वारे वदल रैस्पोर के तर्कों पर भजन किया  
एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अतः  
में अपीलान संख्या ०३ के मौजूद होने की  
सूचना रैस्पोर द्वारा औदितिका दिनांक  
13/12/17 में अपीलान को दी गयी है।  
जबकि अपीलान अधिभावक स्वयं का  
शक्ति या कि वह अपीलान सं० ०३ के  
विषय वारिस्ताब को अपील में प्रस्ताव  
बनाने हेतु कार्यवाही करते। परन्तु उनके  
द्वारा रैस्पोर या अर्बैट हुए, अतः अपीलान  
सं० ०३ की कार्यवाही मायम मुकाम नहीं  
की गयी है। इस प्रकार अपील उपशमित हो  
जाते हैं।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान, अपीलान  
संख्या ०३ के मौजूद होने के कारण, अर्बैट  
में श्वारिज की जावे है। निर्णय सुनाया  
गया। पत्रावली केसल सुमार की जाकर नम्बर  
से कम की जावे, बाद जाका शरिबल दफ्तर है।  
अपीलान मापतान्य का अधिलेख निर्णय की  
अर्बैट के साथ भारत भिजवाया जावे।

पुपु/र  
69  
20.1.19  
से 40 पुपु/र  
21.05.91/081  
21.05.91, 5/12  
श्री ०० श्री ०० श्री ००

रमेशचन्द्र  
वकील  
अपील वकील कारिवाही  
बदरपुर सं० २०-बीकानूर